न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर।

विविध वाद–29/2016

ददन कुर्मी वगैरह – आवेदक
बनाम्
जर्नादन कुर्मी वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

20.06.2026

आवेदकगण की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–29/2026 इजराय वाद सं0–8/2017 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इजराय वाद सं0–8/2017 जो दिनांक–29.04.2025 को खारिज हो गया है जिसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक द्वारा विविध वाद संख्या–29/2026 दाखिल किया गया है। आवेदकगण द्वारा इजराय वाद 8 सन् 2017 दाखिल किया गया था। डिक्रीदार/आवेदकगण मुकदमा में अपना उचित पैरवी कर रहे थे कि पारिवारिक एवं आर्थिक कलह में फंस गये जिससे आपस में मदभेद उत्पन्न हो गया जिससे बबन कुर्मी एवं ददन कुर्मी जो काफी निर्धन हैं अपने परिवार के पालन–पोषण करने के लिए दुसरे शहर में जाकर मजदूरी करने लगे तथा मुकदमे में पैरवी करना बंद कर दिये। उचित पैरवी नहीं होने के कारण डिक्रीदार/आवेदकगण का मुकदमा दिनांक–29.04.2025 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। डिक्रीदार जब होली में अपना गॉव आया तो डुमरांव न्यायालय में आकर अपने वकील से जानकारी ली तो पता चला कि उचित पैरवी नहीं करने के कारण वाद खारिज हो गया। तब खारिज आदेश का नकल लेने हेतु आवेदन दिया तथा दिनांक–17.03.2026 को नकल हासिल हुआ तब इजराय वाद सं0–8/2017 को पुनः रिस्टोर करने का आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया। आवेदकगण जान बूझकर पैरवी करना नहीं छोड़ा है बल्कि दुसरे शहर में मजदूरी करने के कारण दुर्भाग्यवश हो गया। आवेदकगण भविष्य में सही ढंग से कंटेस्ट करेगा। दिनांक–29.04.2025 को रिकॉल किया जाना निहायत रूरी हो गया है अगर खारिज आदेश रिकॉल नहीं किया जाता है तो आवेदकगण/डिक्रीदार को बहुत क्षति होगी। आवेदकगण/डिक्रीदार द्वारा विलम्ब माफी हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन दाखिल किया गया है। अतः निवेदन है कि इजराय वाद सं0–8 सन् 2017 के खारिज आदेश दिनांक–29.04.2025 को रिस्टोर करने का आदेश दिया जाए।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–29/2026 इजराय वाद सं0–8/2017 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदक के इजराय वाद सं0–8/2017 दिनांक–29.04.2025 को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। आवेदकगण ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदकगण मजदूरी करने हेतु दुसरे शहर में रहते थे। आवेदकगण के द्वारा इजराय वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है जो समय–सीमा के अन्दर नहीं है तथा विलम्ब माफी हेतु प्रार्थीगण द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन दाखिल किया गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु इजराय वाद सं0–8/2017 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–29/2026 को न्यायहित में 1000/–रूपये खर्चा के साथ इजराय वाद सं0–8/2017 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

''लेखापित''

सब जज–तृतीय